

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-12082021-228925  
SG-DL-E-12082021-228925

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

|          |                                                    |                         |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| सं. 230] | दिल्ली, बुधवार, अगस्त 11, 2021/श्रावण 20, 1943     | [रा.रा.क्षे.दि. सं. 130 |
| No. 230] | DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 2021/SRAVANA 20, 1943 | [N. C. T. D. No. 130    |

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 11 अगस्त, 2021

सं० फा० 14(73)/एलए-2021/ALA1/66-75.-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 9 अगस्त, 2021 को प्राप्त कर ली है और इसको जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है:-  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापन (पंजीकरण एवं विनियम) (संशोधन) अधिनियम, 2021

(2021 का दिल्ली अधिनियम 04)

(30 जुलाई, 2021 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

(9 अगस्त, 2021),

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापन (पंजीकरण एवं विनियम) अधिनियम, 2007 में संशोधन के लिये अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:**—(1) इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) भोजन तथा शयनकक्ष संस्थापन (पंजीकरण एवं विनियम) (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(2) यह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी।

2. **धारा 3 में संशोधन:**—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापन (पंजीकरण एवं विनियम) अधिनियम, 2007 में धारा 3 की उपधारा (10) में “तीनमाह” शब्दों के स्थान पर “एक माह” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

## DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

### NOTIFICATION

Delhi, the 11th August, 2021

**No. F.14(74)/LA-2021/ALA1/66-75.**—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 9<sup>th</sup> August, 2021 and is hereby published for general information:-

**“The National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) (Amendment) Act, 2021”.**

**(DELHI ACT 04 OF 2021)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 30<sup>th</sup> July, 2021)  
[ 9<sup>th</sup> August, 2021]

An Act to amend the National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) Act, 2007.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy Second Year of the Republic of India as follows:

- Short title and commencement:** (1) This Act may be called the National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) (Amendment) Act, 2021.  
(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.  
(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.
- Amendment in section 3:** In the National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) Act, 2007, in section 3, in sub-section (10) for the words “three months”, the words “one month” shall be substituted.

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Principal Secy. (Law, Justice & L.A.)